लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1477

5 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र हेतु कच्ची सामग्री

1477. श्री राधेश्याम बिश्वासः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात निर्माताओं को मांग की पूर्ति के लिए कच्ची सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौह अयस्क की कम आपूर्ति का कारण इस्पात इकाइयों द्वारा निर्यात किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लौह अयस्क निर्माताओं के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र को लौह अयस्क सहित कच्ची सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): घरेलू इस्पात उद्योग में लौह-अयस्क की वर्तमान मांग/खपत को पूरा करने के लिए लौह-अयस्क का उत्पादन पर्याप्त है। तथापि, देश में कोकिंग-कोल का उत्पादन सीमित होने और इसकी गुणवत्ता कम होने के कारण घरेलू इस्पात उद्योग को कोकिंग-कोल के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, ताकि इसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) : उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : सरकार ने खनिज क्षेत्र के विकास को बल प्रदान करने के लिए माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 लागू किया है।

सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह-अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कम ग्रेड (58% से कम) के लौह-अयस्क (लम्प और चूरा), जिस पर निर्यात शुल्क शून्य है, को छोड़कर सभी प्रकार के लौह-अयस्क पर 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है।

***